राजस्व वाद नं. 86/2019
उनवानी महेश आदि बनाम महेन्द्र आदि
निर्णय दिनांक 11–05–2022
GCMS NO. 2019/00112

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी जिला झुंझुनूं (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर :– **86/2019**

1. महेश पुत्र श्री रामजीलाल
2. बाबुलाल पुत्र श्री रामजीलाल
3. गिरधारी पुत्र श्री रामजीलाल
4. सुरेश पुत्री श्री रामजीलाल
5. गीता पुत्री श्री रामजीलाल
6. शकुन्तला पुत्री रामजीलाल

जाति ब्राह्मण निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतडी जिला झुंझुनूं राज.।

..................वादीगण

बनाम

1. महेन्द्र पुत्र मूलचन्द
2. राकेश पुत्र मूलचन्द
3. सुभाष पुत्र मूलचन्द
4. बिमला पत्नी मूलचन्द

जाति ब्राह्मण निवासी डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज0।

5. उप पंजीयक खेतडी जिला झुंझुनूं राज.।
6. भूमि धारक, जरिये तहसीलदार खेतड़ी जिला झुंझुनूं राज.।

..............................प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1. श्री हेमराज सिंह अभिभाषक वादीगण की ओर से

दावा – घोषणात्मक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट 1955 एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956

–: निर्णय :– **दिनांक :–11–05–2022**

वादीगण की ओर से इस आशय का वाद पत्र पेश किया गया है कि ग्राम डाडाफतेहपुरा स्थित भूमि जमाबन्दी सम्वत् 2019 लगायत 2022 के खाता सं. 120 में दर्ज गत ख.नं. 334 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नम्बर 335 रकबा 6 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा भूमि जमना पुत्र मामराज हिस्सा 1/2 तथा रामजीलाल पुत्र रामकुवार हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा खाता 90 में दर्ज गत ख.नं. 388 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा खसरा नम्बर 391 रकबा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 396/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 396/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा खसरा नम्बर 401 रकबा 9 बिस्वा खसरा नम्बर 1469/285 रकबा 3 बीघा 3 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि जमना पुत्र मामराज हिस्सा 1/2 तथा रामजीलाल पुत्र रामकुवार हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है तथा खाता संख्या 56 के ख. [illegible] रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा ख.नं. 361 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 2 कुल [illegible] बीघा 12 बिस्वा भूमि रामजीलाल, मातादीन, श्यामा, हनुमान पिता [illegible] पुत्र मामराज हिस्सा 1/2 दर्ज रिकार्ड है। वादीगण व [illegible] के सदस्य है जो पालीराम के वारीसान है। वादीगण रामजीलाल के वारिसान है तथा प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 जमनाराम के वारिसान है। मातादीन, श्यामा, हनुमा[illegible] पिता रामकुवार ने भूमि गत [illegible] सं. 56 में अपने हिस्से की भूमि अपने भाई रामजीलाल को दे दी थी तथा इसके बदले इन्होने दुसरी जमीन ले ली थी। इस प्रकार उक्त खाता संख्या 56 में रामजीलाल का 1/2 हिस्सा हो गया था तथा 1/2 हिस्सा जमना पुत्र मामराज का है। वादीगण के पूर्वज रामजीलाल व प्रतिवादीगण के पूर्वज जमनाराम ने सन् 1960 में भूमि गत खाता स. 120 तथा गत खाता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

संख्या 90 तथा गत खाता सं. 56 का बाहमी बंटवारा कर लिया गया था तथा बाहमी बंटवारा के अनुसार गत खाता सं. 56 के ख.नं. 359 रकबा 1 बीघा 07 बिस्वा खसरा नं. 361 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज जमनाराम के हिस्से में आई तथा खाता सं. 120 दर्ज ख.नं. 334 रकबा 02 बीघा 04 बिस्वा सम्पूर्ण तथा खसरा नं. 335 रकबा 06 बीघा में से 03 बीघा इस प्रकार कुल 05 बीघा 04 बिस्वा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज जमनाराम के हिस्से में आई, तथा 3 बीघा भूमि वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में आई तथा इसी प्रकार गत खाता सं. 90 में दर्ज गत ख. नं. 1469/285 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में आया तथा शेष गत ख.नं. 388 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा, ख.नं. 391 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 396/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 396/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा ख. न. 401 रकबा 09 बिस्वा में 1/2 हिस्सा वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में व 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज जमना के हिस्से में आई। वादीगण के पूर्वज रामजीलाल व प्रतिवादीगण का पूर्वज जमना उक्त खण्ड नं. 04 में वर्णित बाहमी बंटवारे के अनुसार अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त रहे तथा प्रतिवादीगण के पूर्वज जमनाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से में आई भूमि गत खाता सख्या 56 के खसरा नं. 359 रकबा 01 बीघा 07 बिस्वा ख.नं. 361 रकबा 03 बीघा 05 बिस्वा कुल किता 02 कुल रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा को दिनांक 16.08.1965 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के उमदाराम पुत्र हीराराम को बेचान कर दी थी तथा इसी प्रकार खाता सं. 120 दर्ज ख.नं. 334 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा सम्पूर्ण तथा ख नं 335 रकबा 6 बीघा में से 3 बीघा इस प्रकार कुल 5 बीघा 4 बिस्वा भूमि को प्रतिवादीगण के पूर्वज जमना ने दिनाक 24.09.1975 को औकारराम पुत्र गोपाल को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के बेचान कर दी थी। इस प्रकार प्रतिवादीगण के पूर्वज, जमनाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से में से 09 बीघा 16 बिस्वा भूमि का बेचान कर दिया था। इस प्रकार गत खाता सं. 90 में दर्ज गत ख.नं. 1469/285 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा सम्पूर्ण वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में आया तथा शेष गत ख. न. 388 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा खसरा नं. 391 रकबा 15 बिस्वा ख.नं. 396/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख.नं. 396/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा ख.नं. 401 रकबा 09 बिस्वा में 1/2 हिस्सा वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में आया जिस पर वादीगण का पूर्वज काबिज काश्त चला आ रहा था तथा उसकी मृत्यु के बाद वादीगण काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा गत ख. न. 388 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा ख. नं. 391 रकबा 15 बिस्वा, ख.नं. 396/1 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा, ख. न. 396/2 रकबा 01 बीघा 04 बिस्वा ख.नं. 401 रकबा 09 बिस्वा में 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण के पूर्वज जमना के हिस्से में आया जिस पर पहले जमनाराम व उसकी मृत्यु के बाद प्रतिवादीगण काबिज काश्त है। वादीगण के हिस्से में आई भूमि गत ख.नं. 1469/285 रकबा 03 बीघा 03 बिस्वा के हाल खसरा नं. 1730 रकबा 0.76 हैक्टर बने है जो हाल खाता संख्या 487 में वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 लगायत 04 के नाम से दर्ज रिकार्ड है लेकिन उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। उक्त सम्पूर्ण भूमि वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में आई हुई है जिस पर वादीगण काबिज काश्त है। अब प्रतिवादीगण के मन में बेईमानी आ गई जो अब गत एक माह से वादीगण को धमकी दे रहे है कि खाता सं. 487 में दर्ज खसरा नं. 1730 रकबा 0.76 हैक्टर में हमारे नाम से खातेदारी दर्ज है हम इस भूमि पर जबरन लठ के बल पर कब्जा करेंगे व इसको किसी भूमाफिया को बेचान करेगे। जबकि उक्त खसरा नम्बर की भूमि से प्रतिवादीगंण का कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं है तथा वादीगण के हिस्से में आई हुई भूमि में प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 के नाम खातेदारी में दर्ज होने से वादीगण की भारी हकतलफी है। इसलिये वादीगण उक्त भूमि का रिकार्ड दुरुस्त करवाकर सम्पूर्ण भूमि का अपने को खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी [illegible] वादीगण को यह वाद घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरुस्ती पेश करना आवश्यक [illegible] वादी स. 01 लगायत 04 को वादीगण की उक्त बाद वर्णित [illegible] नाम से दर्ज हुए गलत रिकार्ड के आधार पर इस पर कब्जा [illegible] के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाने व इसको बेचान, रहन दान व अन्य किसी प्रकार से खुर्द बुर्द करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 वाद[illegible] के हिस्से में आई भूमि को अपने नाम से दर्ज रिकार्ड के आधार पर किसी अन्य को बेचान रहन दान आदि कर देते है तथा इस पर कब्जा कर लेते हैं व वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पहुंचाते हैं तो वादीगण अपने हक व अधिकारों से व अपनी पैतृक भूमि से वंचित हो जायेंगे जिससे वादीगण को

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

ऐसी अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मुद्रा में मुंल्याकन नहीं किया जा सकेगा। इसलिये वादीगण के लिये यह आवश्यक हो गया कि वह न्यायालय श्रीमानजी के समक्ष वाद प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये इसलिये वादीगण को यह बाद स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना आवश्यक हुआ। वाद वर्णित भूमि वाके ग्राम डाडाफतेहपुरा में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान्जी की सीमा में है इसलिये न्यायालय श्रीमानजी को उक्त वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 06 भूमिधारी है इसलिये उसे आवश्यक पक्षकार बनाया गया है तथा प्रतिवादी स. 05 उप पंजीयक तहसील खेतड़ी है जिसके यहां प्रतिवादी सं 01 लगायत 04 विवादित भूमि का विकयपत्र रहननामा दानपत्र आदि पंजीयन करवाने की धमकी दे रहे है इसलिये पक्षकार बनाया गया है। प्रतिवादी सं. 05 राज्य सरकार का प्रतिनिधि लोक सेवक है जिसके खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद करने से पूर्व दो माह का धारा 80 जा.दी. का नोटिस दिया जाना आवश्यक है लेकिन मामला अत्यावश्यक प्रकृति का होने के कारण बिना नोटिस दिये ही यह वाद पेश किया जा रहा है जिसके लिये अलग से प्रार्थना पत्र पेश कर ईजाजत ली गई है। वादीगण को उक्त गलत रिकार्ड की जानकारी गत माह प्रतिवादी सं. 01 लगायत 04 के द्वारा वादीगण के हिस्से में आई भूमि को गलत रिकार्ड के आधार पर उस पर कब्जा करने व उसको बेचान आदि करने की धमकी देने पर वादीगण के द्वारा रिकार्ड की नकल लेने पर उक्त गलत रिकार्ड की जानकारी होने से पैदा हुआ । इसलिये वादीगण को यह याद पेश करना आवश्यक हुआ जो सावधि है वैसे भी कानून में अधिकार घोषणा, रिकार्ड दुरुस्ती की कोई मियाद नियत नहीं है। राजस्थान टेनेन्सी एक्ट के अनुसार वाद तीन रूपये कोर्ट कीस पर पेश है। वादीगण दोराने दावा वाद वर्णित भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तांतरण नहीं करेगा। वाद अपटूडेट जमाबन्दी के अनुसार पेश है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि :–

(क) वाके ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 487 के खसरा नम्बी 1730 रकबा 0.76 हैक्टर सम्पूर्ण का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रिकार्ड राजस्व में अमल दरामद किया जाये तथा उक्त भूमि से प्रतिवादी 1 लगायत 4 का नाम हजफ फरमाया जावे ।

(ख) प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 04 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वे ग्राम डाफतेहपुरा तहसील खेतडी स्थित जमाबन्दी सम्वत 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 487 ख.नं. 1730 रकबा 0.76 हैक्टर भूमि जो वादीगण की पैत्रिक भूमि है जो बांहमी बंटवारे में वादीगण के पूर्वज रामजीलाल के हिस्से में आई व उसके मरने के बाद वादीगण के हिस्से में है को अपने नाम से गलत रिकार्ड के आधार पर किसी अन्य को बेचान, रहन, दान, आदि ना करें व एवं अन्य किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करें तथा वादीगण को काश्त करने में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करे तथा ऐसा कृत्य ना तो स्वयं करे व न हीं अपने अनुचरों व अन्य किसी से करवाये।

(ग) प्रतिवादी संख्या 05 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि यदि प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 04 दौराने दावा विवादित भूमि ग्राम डाडाफतेहपुरा तहसील खेतड़ी स्थित जमाबन्दी सम्वत् 2073 लगायत 2076 के खाता संख्या 487 खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.76 हैक्टर की बाबत किसी प्रकार का विक्रयपत्र, दानपत्र, रहननामा या अन्य हस्तान्तरण पत्र का दस्तावेज पंजीयन करवाने हेतु पेश करे तो उसे पंजीयन नहीं [illegible] हीं अपने अधिनस्थ कर्मचारियों से करवायें।

(घ) वाद वादीगण विरुद्ध प्रति[illegible] खर्चा दावा दिलाया जाये।

(ङ) अन्य अनुतोष जो वाद में अयाचित हो तथा न्यायालय श्रीमान्जी उचित समझे दिलाया जाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक नोटिस तामिल के अनुपस्थित रहने पर

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 1 महेश पुत्र रामजीलाल का शपथ पत्र पी.डब्लू–1 व फूलाराम पुत्र श्री उमदाराम उम्र 77 वर्ष जाति यादव (अहीर) निवासी बलाहा तहसील नारनौल जिला महेन्द्रगढ़ हरियाणा हाल आबाद अहीरों की ढ़ाणी तन् डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुंझुनूं राजस्थान का शपथ पत्र पी.डब्लू–2 पेश हुये जो शामिल पत्रावली किये गये।

वादीगण की ओर से राजस्व साक्ष्य अभिलेख में नकल जमाबन्दी संवत 2073–2076 खाता संख्या नया 487, जमाबन्दी संवत 2019–22 खाता संख्या 120, 56, 298, जमाबन्दी सवंत 2031–2034 खाता संख्या 90, जमाबन्दी संवत 2043 खाता संख्या 218, जमाबन्दी संवत 2045–2048 खाता संख्या 226, नकल नामान्तरकरण संख्या 416 राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा, बिचौती पत्र दिनांक 24.09.1975 की फोटो प्रति, बिचौती पत्र दिनांक 14.07.1965 की फोटो प्रति तथा भू प्रबन्ध विभाग के मिलान क्षेत्रफल की नकल प्रति–3 प्रतिलिपि क्रमांक 85/16.05.19, 455/05.12.17, 631/08.04.2019 राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा पेश किये गये।

बहस विद्वान योग्य अधिवक्ता वादीगण सुनी गई जाकर बतौर समाहत की गई।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख, प्रलेखीय दस्तावेजात्, विक्रय पत्र, वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन मनन किया तथा आद्योपान्त परीक्षण किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड व बिचौती पत्र के आधार पर वादीगण का वाद संदेह से परे साबित होता है। राजस्व ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 487 में दर्ज खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.76 हेक्टेयर सम्पूर्ण के खातेदारी अधिकारी वादीगण को दिया जाना न्यायोचित पाया जाता है। वादीगण का वाद पत्र स्वीकार कर अंतिम डिक्री किये जाने योग्य पाया जाता है। लिहाजा

–: आदेश :–

अतः वादीगण का हस्तगत वाद पत्र स्वीकार कर ग्राम डाडा फतेहपुरा तहसील खेतड़ी की जमाबन्दी संवत 2073–2076 के हाल खाता संख्या 487 में दर्ज हाल खसरा नम्बर 1730 रकबा 0.76 हेक्टेयर सम्पूर्ण का वादीगण को बहिस्सा बराबर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाते से प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 का नाम हजफ किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार खेतड़ी को उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। खाते पर रहन यदि कोई हो, तो खाता रहनमुक्त होने पर ही आदेश का अमल हो। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे खसरा नम्बर 1730 में वादीगण के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा कारित नहीं करें।

निर्णय आज दिनांक 11.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.21 12:30:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner